

प्रेस विज्ञप्ति
30.04.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता ने मेसर्स अपना परिवार एग्रो फार्मिंग डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड और अन्य के मामले में, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत मेसर्स अपना परिवार एग्रो फार्मिंग डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड और उसके निदेशकों की रुपये 2.29 करोड़ की अचल संपत्ति और रुपये 12.89 लाख की बैंक शेष राशि को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

मेसर्स अपना परिवार एग्रो फार्मिंग डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड ने एक पॉन्जी स्कीम शुरू की, जो जल्दी और आसानी से पैसा कमाने के इरादे से "प्रोडक्ट बुकिंग" और फिक्स्ड डिपॉजिट और मासिक आय योजनाओं की आड़ में विभिन्न निवेश योजनाओं के साथ सामने आई। यह पॉन्जी योजना नियामक प्राधिकारियों यानी सेबी/आरबीआई आदि से अनुमति/लाइसेंस प्राप्त किए बिना संचालित की गई थी। मेसर्स अपना परिवार एग्रो फार्मिंग डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड ने जनता को ठगने के लिए बेईमानी और धोखाधड़ी के इरादे से विभिन्न योजनाओं में निवेशकों से डिपॉजिट एकत्र किए।

ईडी की जाँच से पता चला कि मेसर्स अपना परिवार एग्रो फार्मिंग डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा निवेशकों से धोखाधड़ीपूर्वक एकत्र किए गए धन का उपयोग संपत्तियों की खरीद और व्यक्तिगत उपयोग के लिए किया जा रहा था।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।
